फार्म 'अ'

(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)

राजस्व आदेश पत्र(रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

...गीय अधिकारी(रा0)के न्यायालय में मामला क्रमांक ...202505050150012............/2024–2025

...य:–..........वृक्ष काटने की अनुमति बाबत्...............मामले की श्रेणी..........अ–62..............सन्........2024–2025

ग्राम –.......कोरबा ....बन्दोबस्त क्रमांक..........पटवारी हल्का कमांक........16........तहसील...............कोरबा.............

कलेक्टर का कमांक.............सन्...............अनुविभागीय अधिकारी का कमांक ....सन्......2024–2025

तहसीलदार का क्रमांक......................सन्...............................नायब तहसीलदार का क्रमांक.................सन्.....................

आदेश कमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान	पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही जितेन्द्र सिंह राजपूत बनाम छ0ग0शासन	जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और इसी पालन की तारीख
2/5/25	–आवेदक जितेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी–पुरानी बस्ती कोरबा, तहसील व जिला–कोरबा, छ0ग0 द्वारा सुशासन तिहार वर्ष 2025 में आवेदन पत्र कमांक 25270047625 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि पुरानी बस्ती कुम्हार मोहल्ला के पास विशालकाय पीपील का वृक्ष है, जिससे टहनियॉ सुखकर गिरने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। उक्त वृक्ष की छटाई की जावे। –उक्त आवेदन पत्र मय प्ररूप–घ कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा के पत्र कमांक /के0बी0/ 638 कोरबा, दिनांक 01/05/2025 को प्राप्त हुई। –प्रकरण पंजीबद्ध किया जावे। –प्रकरण में संलग्न वन विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र मय प्ररूप –घ का अवलोकन किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में पीपल वृक्ष पुरानी बस्ती में श्रीमती शकुन्तला साहू के मकान से सटा हुआ है, जो शासकीय भूमि पर स्थित है। वृक्ष के चारो ओर आवासीय भवन है, जिससे आस–पास के निवासियों को भय व्याप्त है। जन, धन की सुरक्षा हेतु कटाई आवश्यक है। –छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है। नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। – अतः लोकहित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से पुरानी बस्ती कुम्हार मोहल्ला के पास विशालकाय पीपल के डंगाल को छंटाई किये जाने की अनुमति दी जाती है। –वृक्ष की कटाई किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। –संबंधितों को अनुमति की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो। अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा छ0ग0 अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	

926
05/05/2025

प्ररूप–ड़

(नियम 7(2) देखिये)

अनुमति

प्रति,

जितेन्द्र सिंह राजपूत पिता ना0मा0
ग्राम–कोरबा(पुरानी बस्ती)
तहसील.–कोरबा, थाना/सिटी कोतवाली
जिला.–कोरबा

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों के डंगाल की छंटाई करने की अनुमति बाबत्।

विषयान्तर्गत आवेदक जितेन्द्र सिंह राजपूत, निवासी–पुरानी बस्ती कोरबा, तहसील व जिला–कोरबा, छ0ग0 द्वारा सुशासन तिहार वर्ष 2025 में आवेदन पत्र कमांक 25270047625 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि पुरानी बस्ती कुम्हार मोहल्ला के पास विशालकाय पीपील का वृक्ष है, जिससे टहनियॉ सुखकर गिरने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। उक्त वृक्ष की छटाई की जावे। उक्त आवेदन पत्र मय प्ररूप–घ कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा के पत्र कमांक /के0बी0/ 638 कोरबा, दिनांक 01/05/2025 को प्राप्त हुई। प्रकरण में संलग्न वन विभाग से प्राप्त आवेदन पत्र मय प्ररूप –घ का अवलोकन किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में पीपल वृक्ष पुरानी बस्ती में श्रीमती शकुन्तला साहू के मकान से सटा हुआ है, जो शासकीय भूमि पर स्थित है। वृक्ष के चारो ओर आवासीय भवन है, जिससे आस–पास के निवासियों को भय व्याप्त है। जन, धन की सुरक्षा हेतु कटाई आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है। नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।

अतः लोकहित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से पुरानी बस्ती कुम्हार मोहल्ला के पास विशालकाय पीपल के डंगाल को छंटाई किये जाने की अनुमति दी जाती है।

वृक्ष की कटाई किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, जिला–कोरबा
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

पृ0क0 927 /अ0वि0अ0/वा0–1/2025 कोरबा, दिनांक 05/5/2025

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर जिला–कोरबा को सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल–कोरबा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार, तहसील–कोरबा को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा, छ0ग0
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)